



उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

संख्या-06/2026/1/1441672/2026-1925963

लखनऊ, दिनांक : 24-08-2026

नियुक्ति/ विज्ञप्ति

श्री अजय कृष्णा (एच0जे0एस0), सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय को श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त करने तथा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय(1), कानपुर के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. श्री अजय कृष्णा की नियुक्ति/सेवायें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या-28 सन् 1947), के सुसंगत प्राविधानों तथा उत्तर प्रदेश श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी (नियुक्ति एवं नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 तथा इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत होगी।

डॉ0एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विभागाध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 3- मण्डलायुक्त, कानपुर।
- 4- जिलाधिकारी, कानपुर।
- 5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 6- संयुक्त रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल)(सर्विसेज), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 7- रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 8- श्रम न्यायालय(1), कानपुर।
- 9- संबंधित कोषाधिकारी।
- 10- संबंधित अधिकारी को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें यदि उनके द्वारा उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 11- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 12- समस्त अनुभाग, श्रम विभाग।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।